# राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : संस्था.–1 / 2024 / 501 – 570 दिनांक : २९|०८|२४

**परिपत्र**

1. समस्त निदेशक, शैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त प्राचार्य / प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रभारी–इकाई, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषयः– शिक्षकों की सेवा पुस्तिका के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका में समय–समय पर जारी आदेश / अवकाश इत्यादि की प्रविष्टियां तत्समय नही की जाती है। अनेक सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां एक साथ एक समय में पूर्ण होना भी पाया गया है जिससे शिक्षक को सेवानिवृत्ति पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में अनावश्यक देरी होती है।

अतः मूल सेवा पुस्तिका को संधारित करने वाले कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर पर आदेश के पश्चात् मूल सेवा पुस्तिका में सम्बन्धित आदेश की Service Event/Leave Record में प्रविष्ठि किया जाना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित प्रमाणीकरण अधिकारी से की गई प्रविष्ठि का सत्यापन / प्रमाणीकरण भी करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(अवधेश सिंह)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–I / 2024 / 571 – 572 दिनांक : २९|०८|२४

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति / कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

20/08/24

(राजकुमार जैन)
उप कुलसचिव (संस्था.–I)